मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च–मई, 1998 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 31 मार्च, 1998 (चैत्र 10, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, ग्रामोद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लेदर डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1990–91 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री हरवंश सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–65–98–बाईस–पं–2, दिनांक 9 मार्च, 1998 पटल पर रखेंगे.

(3) डॉ. विजयलक्ष्मी साधो, पर्यटन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का अष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1985–86 पटल पर रखेंगी.

(4) श्री सत्यदेव कटारे, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन लिमिटेड का 22 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995–96 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री चैनसिह सामले, सदस्य, बिलासपुर जिले की चांपा एवं सक्ती तहसील में विद्युत अव्यवस्था के कारण सिंचाई कार्य प्रभावित होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री गोपीकृष्ण नेमा, सदस्य, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा वित्तीय अनियमितता किए जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. राज्यपाल के अभिभाषण पर डॉ. अशोक साबले, सदस्य, द्वारा दिनांक 23, मार्च 1998 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा ....(क्रमशः)

" राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ है."

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 30 मार्च, 1998